इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2015—ज्येष्ठ 15, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2015

क्र. एफ-ए-5-10-2013-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दि. 11-3-2015 से दिनांक 18-3-2015 तक.	08	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 10-3-2015 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए-5-04-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री एम. के. मुदगल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दि. 6-4-2015 से दिनांक 7-4-2015 तक	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

एफ-2-06-2015-तेरह.—विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 41-1-2015-RE, दिनांक 1 अप्रैल 2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 166 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा जिला समितियों के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक 5921, दिनांक 30 अगस्त 2005 को संशोधित करते हुए, जिला समितियों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

(1)	जिले के वरिष्ठतम माननीय सांसद	— अध्यक्ष
(2)	अन्य माननीय सांसद (यदि हों)	— सह अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष
(3)	जिलाध्यक्ष	— संयोजक
(4)	जिले के माननीय प्रभारी मंत्री	— सदस्य
(5)	जिले के माननीय विधायकगण	— सदस्य
(6)	पुलिस अधीक्षक	— सदस्य
(7)	अध्यक्ष/सभापति, जिला पंचायत	— सदस्य
(8)	विद्युत, कोयला तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जिले में स्थित सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के वरिष्ठतम प्रतिनिधि.	— सदस्य
(9)	संबंधित वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता.	— सदस्य सचिव
(10)	जिले में पदस्थ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन / मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी.	— सदस्य
(11)	जिले में जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि.	— सदस्य

2. संबंधित जिले के वरिष्ठतम माननीय सांसद, जिला समिति के अध्यक्ष तथा जिले में अन्य माननीय सांसद होने पर वे जिला समिति के सह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होंगे.

3. **विचारणीय विषय:**— जिले हेतु स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) एवं एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) सहित समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सलाह एवं उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, जिले में विद्युतीकरण के विस्तारण के समन्वय तथा पुनर्विलोकन, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि के पुनर्विलोकन तथा ऊर्जा दक्षता एवं उसके संरक्षण को प्रोत्साहन.

4. जिला समिति की तीन माह में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित की जाएगी.

5. जिला समितियों की बैठक के कार्यवाही विवरण/प्रतिवेदन की प्रति अनिवार्य रूप से राज्य शासन के ऊर्जा विभाग एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भेजी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

क्र. एफ-9-3-2005-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों का, जिनका कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक दिनांक 8 अगस्त 2014 में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों तक विस्तार करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

स्थापनाओं का विवरण	वे क्षेत्र जहां स्थापन स्थित है
(1)	(2)
निम्नलिखित स्थापन जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे अर्थात्:— 1. दुकान 2. होटल 3. रेस्तरां	सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन पहले से ही लागू किये जा चुके हैं.

(1)	(2)
4. सड़क मोटर परिवहन स्थापन	
5. पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमा घर	
6. कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1955(1955 का 45) की धारा 2 (घ) में यथापरिभाषित स्थापन.	
7. व्यक्तियों, न्यासियों, सोसायटियों, अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान (सार्वजनिक, निजी सहायता प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सहित).	
8. चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास धमार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम), निदान केन्द्र, रोग विज्ञान प्रयोग शाला.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

क्र. एफ-9-3-2005-ब-सोलह.—भारत के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th May 2015

No. F-9-3-2005-B-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the State Government hereby extends the provision of the said Act, which has previously been published in Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 8th August, 2014 to the classes of establishments specified in column (1) of the Schedule given below, namely:—

SCHEDULE

Description of establishments (1)	the Areas in where the establishments are situated (2)
The following establishment wheron ten or more persions are employed, or were employed on any day of the preceding twelve month, namely:—	All areas where the provisions of the employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948, have alrealdy been brought into force under sub-section force under sub-section (3) of section 1 of the Act.
I Shops :	
ii Hotels :	
iii Restaurants :	
iv Road Motor Transport establishments :	
v Cinemas including preview theatres :	
vi Newspaper establishments as defined in Clause (d) of section 2 of the working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) ;	
vii Educational Institutions (including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations.	
viii Medical Institutions (including corporate, Joint sector, trust, charitable and private Owenership hospital, nursing homes) Diagnostic centers, pathological labs.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SHRINIWAS SHARMA, Dy. Secy.